

को पेश हो।

3/8/20

आज यह फसवली मूल वास के वकील
वासीगण द्वारा विज्ञापन लिखे जाने के कारण
पेशी में ली गयी। मूल वास वाले विज्ञापन
खारिज किया जा चुका है अतः प्रकल्प में आगे
कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह गयी है। अतः जा.प
आर्यगण वकील प्रवर्गिक द्वारा विज्ञापन माध्यम से
खारिज किया जाता है तथा ब्याजालय द्वारा जारी
नं. 1 दिनांक 24/11 को निरस्त किया जाता है। फसवली
पेशी में गुमराह धरम मूल वास वाले मूल रहे।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
विक्रम सिंह

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

